आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –198/2023

मिश्री तिवारी

बनाम

1. अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान
2. प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, मणिन्द्र कुमार ठाकुर प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
06.09.2024 **23.10.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–57/2022–23 में दिनांक–29.05.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा दिनांक 11.06.2022 को पुनरीक्षणकर्ता के सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनुज्ञप्ति संख्या 69/2007 के दुकान की जाँच की गई एवं जाँचोपरांत निम्नलिखित अनियमितताएँ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान को प्रतिवेदित की गई :– (i) निरीक्षण के दौरान विक्रेता द्वारा कोई भी पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। (ii) सूचना एवं मूल्य भण्डार प्रदर्शन पट्ट अद्यतन नहीं पाया गया। (iii) निरीक्षण के समय वजन एवं माप–तौल उपकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। (iv) भौतिक सत्यापन में गेंहूँ कम और चावल अधिक पाया गया। (v) जाँच के क्रम में विक्रेता के कैम्पस में आटा मिल का प्लांट पाया गया जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियमावली की कंडिका 11 (iii) के विरूद्ध है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपरोक्त अनियमितता के कारण पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान द्वारा ज्ञापांक 416/आ0 दिनांक 18.06.2022 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक– 27.06.2022 को समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज के पत्रांक– 443/आ0 दिनांक– 01.07.2022 द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, महाराजगंज को पुनः पुनरीक्षणकर्ता के दुकान का स्थल जाँच करते हुए स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन की माँग की गई। प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा अपने पत्रांक– 113 दिनांक– 14.07.2022 द्वारा जाँच करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि, ***"दिनांक– 11.07.2022 को 11:35 बजे पूर्वाह्न में श्री मिश्री तिवारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान का पुनः जाँच किया गया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मिश्री तिवारी के उचित मूल्य की दुकान से 40 कदम की दूरी पर आटा चक्की मिल का बड़ा प्लांट अवस्थित है जिसके संचालक श्री सुषील कुमार तिवारी है जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मिश्री तिवारी के पुत्र हैं। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष 2016 के नियमावली की कंडिका 11(iii) में स्पष्ट उल्लेख है कि आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।"***

उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान द्वारा पत्रांक 490/आ0 दिनांक 23.07.2022 द्वारा पुनः पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान के आदेश पारित करने की तिथि 20.08.2022 तक समर्पित नहीं किया गया है, जिस कारण बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(iii) के उल्लंघन एवं द्वितीय स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं देने, अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्त्तों एवं निर्धारित कार्यों एवं दायित्व का उल्लंघन के आरोप में पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को ज्ञापांक 520/आ0 दिनांक 20.08.2022 के तहत् रद्द कर दिया गया।

उक्त के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में वाद सं0–57/2022–23 दायर किया गया। समाहर्त्ता, सिवान द्वारा दिनांक 29.05.2023 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता, सिवान के आदेश से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षणवाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को

WEB COPY NOT OFFICIAL

विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसारः–

(i) निम्न न्यायालय को इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए था कि आटा मिल किसी दूसरे प्लॉट पर अवस्थित है तथा आटा मिल का मालिक, पुनरीक्षणकर्ता से अलग व्यक्ति है।

(ii) निम्न न्यायालय को इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए था कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त आटा मिल सक्रिय नहीं है और आटा मिल मालिक सुशील कुमार तिवारी द्वारा शपथ–पत्र दायर कर कहा गया है कि वे आटा मिल को बन्द करने जा रहे हैं।

(iii) निम्न न्यायालय को इस बिन्दु पर विचार किया जाना चाहिए था कि कारण–पृच्छा के जवाब में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बिना शर्त्त माफी मांगी गयी है।

(iv) निम्न न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए था कि पुनरीक्षणकर्ता के किसी उपभोक्ता द्वारा उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

उक्त कथनों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 (iii) के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन पर विचार किया जाना विधिसम्मत् नहीं है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालीय आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः–

(1) पुनरीक्षणकर्ता पर खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित नहीं करने, योजनावार भंडार पंजी, वितरण पंजी संधारित नहीं करने, वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर नहीं करवाने, वजन एवं माप अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने, स्वयं के कैम्पस में आटा मिल के होने एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं देने का प्रमाणित आरोप है। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, द्वारा निर्गत आदेश एवं समाहर्त्ता द्वारा

WEB COPY NOT OFFICIAL

पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(2) प्रश्नगत् जन वितरण प्रणाली दुकान के कैम्पस में संचालित आटा–चक्की की दुकान पुनरीक्षणकर्ता के पुत्र श्री सुशील कुमार तिवारी का है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 (iii) में अंकित है कि *''आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।''*

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(v) एवं (viii) में अंकित है किः–

14(v) *''अनुज्ञप्तिधारी दुकान के बाहर सहज दृष्य स्थान पर सूचना पट्ट तथा दुकान के भीतर मूल्य एवं भंडार प्रदर्षन पट्ट प्रदर्षित करेगा, जिसमें दैनिक आधार पर खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की हकदारी, निर्गम का परिमाण, खुदरा निर्गम मूल्य, उचित मूल्य की दुकान को खोलने और बन्द करने का समय, मास के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की स्टाक, खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का आदिषेष और इतिषेष, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा बावत षिकायतों के निपटान के लिए संबंधित पदाधिकारी का टेलिफोन नं0 और पता तथा टोल फ्री हेल्पलाईन नं0 आदि की सूचनायें सन्निहित होंगी तथा सूचना पट्ट अनुसूची– 06 के अनुसार एवं मूल्य एवं भंडार प्रदर्षन पट्ट अनुसूची– 07 के अनुसार दुकान की दीवाल पर पेंट कराकर अथवा बोर्ड बनाकर प्रदर्षित करेगा।''*

14(viii) *''निरीक्षी पदाधिकारियों के निदेष के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा जैसा कि निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा मांगी जाय।''*

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के (अनुसूची–03) उपबंधों तथा अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के कंडिका 19 एवं 21 में अंकित है किः–

(19)''अनुज्ञप्तिधारी सही वजन एवं माप में आवष्यक वस्तुओं की आपूर्त्ति के लिए तराजू, बटखारा एवं अन्य उपकरण का

WEB COPY NOT OFFICIAL

वार्षिक सत्यापन माप–तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा।''

(21) ''अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा वितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षण पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगी जाय।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 11(iii), 14(v) एवं (viii) तथा अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के कंडिका 19 एवं 21 में वर्णित शर्त्तो के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अभिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपीलार्थी को सुनकर/ पक्ष रखने का समुचित मौका देने के बाद मुखर आदेश पारित किया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL